तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अन्तिम निर्णय डिग्री.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-8-20	दिनांक 6-8-2020 का आदेश जिला कलक्टर महोदय बून्दी द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित होने से पत्रावली आज पेश हुई। प्राथमिक बटवारा निर्णय दिनांक 20-11-2019 की पालना में तहसीलदार इन्द्रगढ़ की नोटिस व प्राथमिक बटवारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। मुताबिक बटवारा कामिश्नर रिपोर्ट के ग्राम पापडी की जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता सं. 182 पर दर्ज खसरा नम्बर संख्या ख.न. 332/0.51 हे. 338/0.020 हे. 696/1185/0.27 हेक्टर 775/1193/0.23 हेक्टर 776/0.93 हेक्टर 777/0.72 हेक्टर 778/1.35 हेक्टर 779/0.75 हेक्टर 922/1.28 हेक्टर 923/0.90 हेक्टर 925/2.20 हेक्टर कुल खसरा किता - 11 योग रकबा 9.16 हेक्टर में से वादी का हिस्सा 1/4 निर्धारित करते हुए खसरा नम्बर 332/1 रकबा 0.11 हेक्टर खसरा नम्बर 922 रकबा 1.28 हेक्टर खसरा नम्बर 0.90 हेक्टर कुल खसरा किता - 3 योग रकबा 2.29 हेक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ़ वादी हसराज के हिस्से में रहेगी रहन बादस्तूर जमाबन्दी रहेगा। शेष खसरा नम्बर संख्या 332/0.[illegible] 33[illegible] [illegible]/1185 775/1193/0.23 हेक्टर 777/0.72 हे 776/0.93 [illegible]/[illegible]5 हेक्टर 779/0.75 हे 925/2.20 हे कुल खसरा किता 9 योग रकबा 6.87 हेक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.02.16 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पापड़ी में प्रतिवादी सं. 1 राधेश्याम पिता प्रहलाद जाति मीणा हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल पिता प्रहलाद मीना हिस्सा 1/4 प्रतिवादी सं. 3 रामचरण मृतक कायम मुकाम विमलाबाई पत्नी रामचरण, शिवराज पिता रामचरण, सुमित्रा पत्नी स्व. रामचरण हिस्सा 1/4 रहेगा। शाहिन अदालत आबादी रहेगा।
	इस्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.02.16 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

दावा संख्या 57 / 2010 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :- 14.07.2010 — जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. हंसराज आत्मज प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– वादी –

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. भवंरलाल आत्मज प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. रामचरण आत्मज प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.) मृतक कायम मुकामान
   3/1 शिवराज बालिग आत्मज रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
   3/2 विमला बाई पुत्री रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
   3/3 सुमित्रा बाई बेवा रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
4. रामदेव आत्मज बजरंगलाल जाति मीणा निवासी देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
5. प्रेमशंकर आत्मज रामदेव जाति मीणा निवासी देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
6. हाकिम कुमार आत्मज रामदेव जाति मीणा निवासी देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
7. रामप्यारी बाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी पत्नि रघुनन्दन जाति मीणा निवासी गरजनी तहसील के0पाटन जिला बून्दी (राज.)
8. दलबर बाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी पत्नि जेठमल जाति मीणा निवासी संतोषीनगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)
9. शांतिबाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा पत्नि पप्पूलाल जाति मीणा निवासी बालोद तहसील के0पाटन जिला बून्दी (राज.)
10. छगनी बाई बेवा प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी मृतक
11. दी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा के0 पाटन जर्ये प्रबन्धक शाखा के0 पाटन।
12. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
13. उपपंजीयक महोदय इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
14. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये श्रीमान जिलाधीश महोदय बून्दी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.02.16 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested

– प्रतिवादीगण –

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

—प्रतिलिपि सत्यापित—

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188, 53 आर.टी.एक्ट
आदेश 7 नियम 1

उपस्थित :— श्री बाबूलाल मीणा एडवोकेट
श्री बालकिशन सामका एडवोकेट

निर्णय

दिनांक :— 20-11-2019

वादी ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188,53 आर.टी.एक्ट आदेश 7 नियम 1 मे प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 162 की कृषि भूमि खसरा संख्या 332 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा संख्या 338 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 696/1185 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा संख्या 775/1193 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा संख्या 776 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा संख्या 777 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा संख्या 778 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा संख्या 779 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा संख्या 922 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा संख्या 923 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा संख्या 925 रकबा 2.20 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 9.16 हैक्टर वाके ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जो वर्तमान में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 10 व श्रीमति प्रकाशी बाई के नाम दर्ज है। श्रीमति प्रकाशी बाई की मृत्यु सन 2006 में हो चुकी है तथा प्रकाशी बाई के वारिसान व कायम मुकामान प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमियां पूर्व में वादी के पिता स्व. प्रहलाद पुत्र केसरीलाल जाति मीणा निवासी पापडी के खाते दर्ज थी। प्रहलाद जी की मृत्यु दिनांक 04.05.2003 को होने के पश्चात राजस्व अधिकारीयों ने उनका फोती इन्तकाल संख्या 85 दिनांक 06.09.2004 को उनके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 तथा उनकी पुत्रियां प्रकाश बाई व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 8 व वेवा छगनी बाई के नाम खोलकर तस्दीक कर दिया गया। पक्षकारान मीणा जाति से है जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मीणा जाति पर लागू नही होने के कारण ऑल्ड हिन्दुला से शासित होते है। जिसमें केवल पुरूषों का संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सोदायगी सम्पत्ति अधिकार माना है। महिलाओं का कोपार्सनरी का सदस्य नही होने से अधिकार नही माना है। इसलिए उनकी पुत्री मृतक प्रकाश बाई का उक्त कृषि भूमि में कोई अधिकार नही बनता है और प्रकाश बाई की मृत्यु के पश्चात उसके पति प्रतिवादी संख्या 4 रामदेव व उसके दोनो पुत्र प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 का उक्त सम्पत्ति में कोई अधिकार नही बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 7 व 9 एवं 10 का उक्त कृषि भूमि में कोई अधिकार नही है वह केवल अपने जीवनकाल में भरण पोषण व आवास की अधिकारीणी बनती है। वाद वर्णित भूमि में केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पुत्रों का ही अधिकार बनता है। इस प्रकार वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर अपने हिस्से अनुसार बटवारा किया जाकर पृथक पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। एवं प्रतिवादीगण 7 लगायत 10 व मृतक प्रकाश बाई के वारिसान कायम मुकाम प्रतिवादीगण 4 लगायत 6 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किये जावें। और अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी कृषि भमि के 1/4 भाग का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वर्तमान इन्द्राज को दुरूस्त किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रकाश बाई व प्रतिवादीगण 7 लगायत 10 का नाम विलोपित किया जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4,5,6,12 [illegible] के [illegible] दिनांक 29.07.2010 को एक पक्षीय कार्यवही अमल में लाई गई। [illegible] की ओर से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये [illegible] वादी का वाद खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.02.16 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात पर्चा कायम किया गया। वादी की ओर से अपने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्लू. 1 पेश किया जाकर बयान लेखबद्ध करवाये गये। एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 प्रदर्श 1, नकल नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 01.09.2014 प्रदर्श 2 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया। प्रतिवादी को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया गया। लेकिन साक्ष्य सबूत पेश नही करने पर दिनांक 25.03.2015 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिया जाकर उभयपक्षों की बहस अन्तिम सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि विवादित आराजी प्रहलाद पुत्र केसरीलाल जाति मीणा के खाते दर्ज थी। प्रहलाद की मृत्यु होने पर नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 06.09.2004 को उनके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 तथा पुत्रियां प्रकाश बाई व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 तथा उनकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 10 के नाम खोलकर तस्दीक कर दिया गया। उसी अनुसार पक्षकारान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। प्रहलाद जी की जाति मीणा थी जो अनुसूचित जनजाति के तहत आती है। तथा अनुसूचित जनजाति व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है बल्कि ऑल्ड हिन्दु ला लागू होंता है। जिसके अनुसार प्रहलाद की पुत्रियां व विधवा का कोई हक अधिकार प्रहलाद की कृषि भूमि में निहित नही होता है। उन्होने ने अपने तर्को के समर्थन में RRD 2002 पेज नं0 31, RLW 2006 पेज नं0 695, RLW 2006 पेज नं0 813 पूर्व न्यायिक दृष्टांत पेश किये। और अन्त में प्रार्थना की गई कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा वादी की बहस का विरोध करते हुये तर्क दिया कि प्रहलाद की पुत्रिया प्रकाश बाई व शांतिबाई ने बैंक से वाद विषयक आराजी पर ऋण ले रखा है। तथा बतौर सहखातेदार काबित काश्त है। अन्त में प्रार्थना की गई की वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभपक्षों की बहस के आधार पर इस प्रकरण का तनकीवार निर्णय इस प्रकार किया जाता है।

तनकी संख्या – 1 आया पक्षकारान मीणा जाति के होने से विवादित आराजी में पुत्रियों व विधवा का कोई कानूनन अधिकार निहित नही है। – वादी –

तनकी संख्या – 2 आया वादी को अधिकार है कि वह विवादित आराजी के 1/4 भाग का खातेदार कृषक घोषित हो तथा प्रकाश बाई के वारिसान 4 लगायत 6 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करावे। – वादी –

तनकी संख्या – 3 आया वादी को 1/4 हिस्से का बटवारा कराने का अधिकार है। – वादी–

उपरोक्त तीनो तनकीयात एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण उक्त तनकियों का एक साथ निर्णय किया जाना उचित समझते है।

हमारे द्वारा नकल नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 06.09.2004 प्रदर्श 2 का अवलोकन किये जाने पर न्यायालय के समक्ष वाद विषयक आराजी बाबत यह तथ्य साबित है कि विवादित आराजी प्रहलाद के खाते की कृषि भूमि है। और प्रहलाद की मृत्यु के बाद जर्ये फोती नामान्तकरण से प्रहलाद के पुत्र व पुत्रिया एवं बेवा के नाम राजस्व अधिकारीयों द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल कर दिया गया। इस कारण नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 प्रदर्श 1 में वाद विषयक आराजी पक्षकारान के नाम दर्ज चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी काश्तकार की मृत्यु होते समय जिस विधि से वह शासित होता है उस विधि के अनुसार उसकी कृषि भूमि उसके वारिसानों को बतौर अधिकार के रूप में प्राप्त होगी। मृतक प्रहलाद जाति से मीणा होने के कारण वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य था। वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूर्व न्यायिक दृष्टांत RLW 2006 पेज नं0 813 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अनुसूचित जनजाति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.02.16 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

खातेदार की मृत्यु होने पर वह हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से शासित न होकर ऑल्ड हिन्दु विधि से शासित होता है। ऑल्ड हिन्दु विधि अनुसार प्रहलाद की कृषि भूमि मे उसकी पुत्रियां प्रकाश बाई व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 का कोई हक अधिकार नही होना पाया जाता है। केवल मात्र नामान्तकरण के माध्यम से प्रहलाद की पुत्रियों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उनको कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई न्यायिक निर्णय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। जिससे यह प्रकट हो की प्रहलाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होता था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाना हम उचित समझते है। क्योकि उनका कोई कानूनी हित वाद विषयक आराजी में निहित होना नही पाया जाता है। वादी को वाद विषयक आराजी का हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर हिस्सा 1/4 का बटवारा कराने का अधिकार वादी का होना पाया जाता है। अतः तनकी 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या – 4</u> आया वादी प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में निर्णित होने व वादी हिस्सा 1/4 का खातजेदार कृषक घोषित होना पाये जाने से यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या – 5</u> आया इन्तकाल संख्या 85 दिनांक 06.09.2004 को निरस्त कराये वादी बटवारा कराने का अधिकारी नही है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 व 8 पर है लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई कानून न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया कि नामान्तकरण को निरस्त कराये बिना वादी का दावा पोषनीय नही है। अतः तनकी प्रतिवादी संख्या 2 व 8 के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या – 6</u> आया प्रतिवादी संख्या 2 व 8 अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है और अपनी भूमि का बटवारा कराने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 व 8 पर है। लेकिन उनके द्वारा कोई साक्ष्य सबूत इस न्यायालय के समक्ष पेश नही किये गये। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 2 व 8 के विरूद्व तथा वादी के पक्ष में निर्णित की जाति है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत यह है कि मृतक प्रहलाद की कृषि भूमि में उसकी पुत्रियां प्रकाश बाई व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 का व प्रतिवादी संख्या 10 जो प्रहलाद की विधवा है उनकी पुरानी हिन्दु विधि के तहत कोई कानूनी हित निहित नही होना पाया जाता है। इस कारण वादी को वाद विषयक आराजी खाता संख्या 162 की कृषि भूमि खसरा संख्या 332 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा संख्या 338 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 696/1185 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा संख्या 775/1193 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा संख्या 776 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा संख्या 777 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा संख्या 778 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा संख्या 779 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा संख्या 922 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा संख्या 923 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा संख्या 925 रकबा 2.20 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 9.16 हैक्टर वाके ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित कृषि भूमि में हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 का नाम विलोपित कियें जाने एवं वादी का हिस्सा 1/4 का बटवारा किये जाने वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 162 की कृषि भूमि खसरा संख्या 332 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा संख्या 338 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 696/1185 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा संख्या 775/1193 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा संख्या 776 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा संख्या 777 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा संख्या 778 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा संख्या 779 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा संख्या 922 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा संख्या 923 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा संख्या 925 रकबा 2.20 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 9.16 हैक्टर वाके ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhod Kumar
Date: 2021.02.16 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

राजस्थान में स्थित राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 का नाम विलोपित किया जाकर हिस्सा 1/4 की कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी का हिस्सा 1/4 भाग का विधिवत बटवारा किये जाने बाबत तहसीलदार इन्द्रगढ को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वह राजस्व मण्डल बटवारा नियम (18 से 21) के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये रास्ते का निर्धारण करते हुये मय नक्शा ट्रेस बटवारा प्रस्ताव दिनांक 29.01.2020 से पूर्व न्यायालय में भिजवाने व्यवस्था करें। बटवारा कमिश्नर फीस 500/– रूपये निर्धारित की जाती है जो वक्त बटवारा वादी द्वारा अदा की जावेगी। तदनानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.02.16 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1000/= रुपये का मान
अनुसार वाद व्यय सहित

आन्तिम ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम केशवराय पाटन

व इजलास श्री प्रमोद कुमार R.A.S.

2 हंसराज आत्मज प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी - वादी

बनाम 1 राधेश्याम आत्मज प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह प्रतिवादीगण PTO.

दावा बाबत 88, 89 व 53 RTA

मुकदमा नम्बर 57/दावा/2010 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री बाबूलाल वीडा (एडवोकेट) मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री बाल किशन शर्मा एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादी का वाद आन्तिम डिक्री किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता सं. 182 पर दर्ज कुल खसरा किता-11 योग रकबा 9.16 हैक्टर वाके ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में से खसरा सं. 332/1 रकबा 0.11 हैक्टर खसरा सं. 922 रकबा 1.28 हैक्टर खसरा सं. 923 रकबा 0.90 हैक्टर कुल खसरा किता 3 योग रकबा 2.29 हैक्टर वादी हंसराज पिता प्रहलाद के हिस्से में रहेगा। शेष कृषि भूमि ख.सं. 332 रकबा 0.40 हैक्टर ख.न. 338 रकबा 0.02 हैक्टर ख.सं. 696/1185 रकबा 0.27 हैक्टर ख.सं. 775/1193 0.23 हैक्टर →

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन कृपया PT.O

मुकद्दमें के मय सूद बशरंह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07-08-2020 माह सन को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा इस तो फरिकेन करके किस के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.02.16 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खसरा स. 776 रकबा 0.93 हैक्टर ख.स. 777 रकबा 0.72 हैक्टर ख
रकबा 1.35 हैक्टर ख.स. 779 रकबा 0.75 हैक्टर ख.स. 925 रकबा
कुल खसरा किता-9 योग रकबा 6.87 हैक्टर वाके ग्राम पापडी तह.
में प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं मृतक प्रतिवादी स. 3 के कायम मु
का हिस्सा 1/4 1/4 प्रत्येक का रहेगा। शाहिन बादस्तूर वादी व
प्रतिवादीगण रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

2. भंवरलाल आ. प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. रामचरण आ. प्रहलाद जाति मीणा मृतक कायम मुकाम
   3/1 शिवराज आ. रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ
   3/2 विमलाबाई पुत्री रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ
   3/3 सुमित्राबाई पत्नी स्व. रामचरण जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ
4. रामदेव आ. बजरंगलाल जाति मीणा निवासी डेडीखेडा तहसील इन्द्रगढ (बून्दी)
5. प्रेमशंकर आ. रामदेव जाति मीणा —"— —"— —"—
6. शक्तिकुमार आ. रामदेव जाति मीणा —"— —"— —"—
7. रामप्यारी पुत्री प्रहलाद जाति मीणा पत्नी रघुनन्दन जाति मीणा निवासी गरजनी त. के पाटन
8. दलबरबाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा पत्नी छोटूलाल निवासी सन्तोषीनगर कोटा
9. शान्तिबाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा पत्नी पप्पूलाल निवासी कालोद तहसील के पाटन
10. छगनीबाई बेवा प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ
11. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के-पाटन
12. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला-बून्दी
13. उपपंजीयक इन्द्रगढ
14. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश बून्दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.02.16 14:16:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner